प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
औरैया, बलिया, बिजनौर, हापुड़, जालौन, कन्नौज, फर्रूखाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजीपुर, बदायूँ, बुलन्दशहर, इटावा, कासगंज, कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, सम्भल एवं सिद्धार्थनगर, उ0प्र0।

पत्रांकः–9फ / मा0स्वा0 / 2022–23 / 191 लखनऊ / दिनांकः 10 / 03 / 2023

विषयः– मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम–2017 के प्राविधानों के अनुरूप मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन किये जाने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

जैसा कि आप अवगत ही है कि प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम, 2017 लागू है, जिसकी धारा–73 के अनुपालन में मानसिक रूग्णता से ग्रसित लोगों के अधिकारों के संरक्षण हेतु मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्डो का गठन किये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्त के अनुपालन में अध्यक्ष, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण एवं प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन द्वारा अपने पत्र संख्या–रा0मा0स्वा0प्रा0 / 2019–20 / 658, दिनांक– 26 / 02 / 2020 द्वारा प्रदेश के समस्त जिला न्यायाधीश महोदयों से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड के गठन हेतु अनुरोध किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

उक्त के क्रम में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली में योजित वाद–370 / 30 / 2 / 2023 के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत पत्र सं0 161 / पांच–7–2023 दिनांक 09 मार्च, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। (छायाप्रति संलग्न) जिसके माध्यम से शासन द्वारा निर्देश दिये गये है कि जिन जनपदों में मानसिक स्वास्थ्य पुर्नविलोकन बोर्ड का गठन नही किया है, वे जनपद अपने निकटस्त जनपद जहां पूर्व में बोर्ड का गठन हो चुका है, द्वारा मानसिक रोगियों की समस्याओं के समाधान एवं उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु सहयोग लिया जायें। जिसका विवरण निम्नवत् है–

कम सं0	जनपद जहां के एम0एच0आर0बी0 का गठन प्रकियाधीन है।	जनपद जहां के एम0एच0आर0बी0 से सहयोग लिया जाना है।
1	औरेया	कानपुर देहात
2	बलिया	देवरियां
3	बिजनौर	मुजफ्फरनगर
4	हापुड़	मेरठ
5	जालौन	झांसी
6	कन्नौज	हरदोई
7	फर्रूखाबाद	शाहजहांपुर
8	गौतमबुद्ध नगर	गाजियाबाद
9	गाजीपुर	वाराणसी
10	बदायूँ	बरेली
11	बुलन्दशहर	अलीगढ़

12	इटावा	मैनपुरी
13	कासगंज	एटा
14	कुशीनगर	गोरखपुर
15	महराजगंज	संतकबीरनगर
16	मऊ	आजमगढ़
17	संभल	मुरादाबाद
18	सिद्धार्थनगर	बस्ती

अतः मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में योजित उक्त वाद के दृष्टिगत आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपके जनपद में पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन होने तक मानसिक रूग्णता से ग्रसित रोगियों की समस्याओं के समाधान एवं उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु उपरोक्त सूची के अनुसार संबंधित जनपद के न्यायाधीश महोदय से उक्त हेतु सहयोग प्रदान किये जाने एवं अधिनियम के अनुपालन के लिए उनका नेतृत्व प्रदान किये जाने का अनुरोध करते हुये सहयोग लेने संबंधी कार्यवाही यथाशीघ्र आरम्भ करते हुये कृत कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया

(लिली सिंह)
महानिदेशक

पत्र सं0 – 9फ / मा0स्वा0 / 2022–23 / तद्दिनांक :

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को ईमेल के माध्यम से सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–</u>

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. कार्यालय, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

(एन0के0गुप्ता)
निदेशक (स्वास्थ्य)

12	इटावा	मैनपुरी
13	कासगंज	एटा
14	कुशीनगर	गोरखपुर
15	महराजगंज	संतकबीरनगर
16	मऊ	आजमगढ़
17	संभल	मुरादाबाद
18	सिद्धार्थनगर	बस्ती

अतः मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में योजित उक्त वाद के दृष्टिगत आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपके जनपद में पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन होने तक मानसिक रूग्णता से ग्रसित रोगियों की समस्याओं के समाधान एवं उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु उपरोक्त सूची के अनुसार संबंधित जनपद के न्यायाधीश महोदय से उक्त हेतु सहयोग प्रदान किये जाने एवं अधिनियम के अनुपालन के लिए उनका नेतृत्व प्रदान किये जाने का अनुरोध करते हुये सहयोग लेने संबंधी कार्यवाही यथाशीघ्र आरम्भ करते हुये कृत कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया

(लिली सिंह)
महानिदेशक

पत्र सं0 – 9फ/मा0स्वा0/2022–23/192 – 195 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ईमेल के माध्यम से सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. कार्यालय, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

(एन0के0गुप्ता)
निदेशक (स्वास्थ्य)